झूठ, छल और अंधकार

केंद्र सरकार का आख़िरी बजट : आम आदमी को क्या मिला?

नीरज जैन

अनुवाद : सुनील कुमार

मीडिया ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के संघीय बजट 2018-19 को किसान, दरिद्र जन, ग्रामीण समाज, स्वास्थ्य तथा शिक्षा-हितैषी बजट के रूप में प्रस्तुत करने का भरसक प्रयास किया है। आइए, देखते हैं कि इस बजट की वास्तविकता क्या है।

बजट और कृषि

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि 'सरकार किसान कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है।' उन्होंने पिछले दो बजटों के दौरान किये गये अपने वायदे— 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात फिर दुहरायी। किसानों के प्रति अपनी चिंता का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने बजट में 'किसान' और 'कृषि' शब्द का बार-बार ज़िक्र किया है। उन्होंने किसानों के लिए बहुत सी बड़ी-बड़ी घोषणाएँ भी कीं। लगभग सभी समाचार पत्रों और टीवी चैनलों ने इसे कृषि हितैषी बजट के रूप में प्रस्तुत किया।

हालाँकि सभी बजट भाषणों में थोड़ी-बहुत लाग-लपेट के साथ काम लिया जाता है, लेकिन जेटली ने अपने 2018-19 के बजट भाषण में झूठ का एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। वित्त मंत्री ने बड़ी-बड़ी योजनाओं की घोषणाएँ तो कर दीं, लेकिन उन घोषणाओं के लिए एक पैसे का भी आबंटन नहीं किया।

■ जेटली ने मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्रों की अधिरचना के विकास के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपये की योजनाओं की घोषणा की। लेकिन वास्तविक बजट आबंटन में उन्होंने मत्स्य पालन एवं एक्वाकल्चर अधिरचना विकास निधि हेतु केवल 10 करोड़ और डेयरी प्रसंस्करण और

अधिरचना विकास निधि हेतु केवल 37 करोड़ यानी कुल मिलाकर दोनों योजनाओं हेतु केवल 47 करोड़ रुपये का आबंटन किया है। पशुपालन अधिरचना विकास निधि का तो ज़िक्र तक नहीं किया गया है।

■ उन्होंने ग्रामीण कृषि बाज़ारों में लगभग 22,000 कृषि हाटों तथा 585 कृषि उत्पाद विपणन समितियों— जहाँ किसानों को अपना उत्पाद बेचने हेतु मजबूर होना पड़ेगा— के विकास हेतु 2,000 करोड़ रुपये के साथ एक कृषि-बाज़ार अधिरचना निधि की स्थापना की भी घोषणा की। यह भी केवल काग़ज़ी योजना है। बजट में इसके लिए राशि आबंटित नहीं की गयी है।

■ उन्होंने ऐसे 96 ज़िलों में जहाँ 30 फ़ीसद से भी कम भूमि को सिंचाई उपलब्ध है, भूजल सिंचाई के विकास हेतु 2,600 करोड़ रुपया प्रदान करने की घोषणा की है। लेकिन वास्तविक आबंटन केवल 310 करोड़ रुपये ही किया गया है। बजट के अंतिम प्रारूप के अनुसार इस बजट आबंटन का 2,290 करोड़ रुपया देशभर में अपूर्ण सिंचाई योजनाओं का वित्तपोषण करने हेतु 2016-17 बजट के दौरान स्थापित की गयी एक नाबार्ड निधि की ब्याज अदायगी हेतु उपयोग किया जाएगा।

■ जेटली ने बाँस कृषि के द्वारा ग्रामीण आय को बढ़ावा देने हेतु '1,290 करोड़ रुपये परिव्यय के साथ एक पुन:संरचित राष्ट्रीय बाँस मिशन' की शुरुआत करने की भी घोषणा की जबकि इसके लिए केवल 300 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

ख़रीद संबंधी झूठ

चाहे कितना भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित किया गया हो, किसानों की बड़ी समस्या यह है उन्हें अपनी फ़सलों के बदले यह दाम मिलता ही नहीं। सरकार केवल कुछ ही फ़सलों की ख़रीद करती है जैसे कि चावल, गेहूँ, कपास, तथा कभी-कभी दालें भी। (हालाँकि सरकार गन्ना नहीं ख़रीदती, लेकिन चीनी मिलों को क़ानूनी तौर पर एमएसपी की तर्ज़' पर सरकार द्वारा निर्धारित किये दाम पर ही गन्ना ख़रीदना होता है)। और यह ख़रीद भी केवल कुछ राज्यों के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है (पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के सुसिंचित क्षेत्र)। शांता कुमार समिति ने यह स्वीकार किया है कि 94 फ़ीसद किसानों को एमएसपी नहीं मिल पाता है।[1]

चार साल की हीला-हवाली के बाद वित्त मंत्री ने अंतत: अपने बजट में इस समस्या को स्वीकार किया। इस बीच हज़ारों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। वित्त मंत्री ने सुझाया है कि केंद्र और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करते हुए नीति आयोग एक ऐसी प्रभावी व्यवस्था की स्थापना करेगा ताकि इसके माध्यम से किसानों को अपने उत्पाद का वाजिब दाम मिल सके। लेकिन अपने स्वभाव के अनुरूप इस वादे के क्रियान्वयन के लिए उन्होंने किसी निधि का आबंटन नहीं किया।

सरकारी ख़रीद को बजट में 'खाद्य सब्सिडी' शीर्षक के अंतर्गत दर्ज किया जाता है। पिछले वर्ष सरकार ने इसके लिए 1.45 लाख करोड़ रुपये का आबंटन किया था, लेकिन केवल 1.40 लाख करोड़ ही ख़र्च किये। इस वर्ष खाद्य सब्सिडी को बढ़ाकर 1.69 लाख करोड़ किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में यह 16.5 प्रतिशत अधिक है। यदि यह मानकर चलें कि इस पूरी राशि को ख़र्च किया जाएगा तब भी पिछले वर्ष की क़ीमतों पर सरकारी ख़रीद में विस्तार करने हेतु यह राशि पर्याप्त नहीं है, एमएसपी में बढ़ोतरी की बात तो भूल ही जाएँ।

जेटली सरकारी ख़रीद के विस्तार के प्रति गम्भीर नहीं हैं। यह तथ्य फ़सल ख़रीद संबंधी अन्य योजनाओं हेतु किये गये आबंटन से भी सिद्ध हो जाता है। सरकार बाज़ार हस्तक्षेप योजना के तहत एक सीमित अवधि के लिए दलहन और तिलहन की ख़रीद करती है। इस वर्ष सरकार ने इस योजना

[1] देखें, https://thewire.in. फ़रवरी 1, 2018; एलुमलाई कन्नान (2015) : 201-219.

का बजट 950 करोड़ रुपये से घटाकर 200 करोड़ रुपये कर दिया है। जेटली ने मूल्य स्थिरीकरण निधि के बजट में भी कटौती कर दी है (इस निधि को कृषि मंत्रालय से हस्तांतरित करके उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत लाया गया है), इस निधि के द्वारा क़ीमतों की अस्थिरता से बचने हेतु दलहन का सुरक्षित भण्डारण किया जाता है। इसका बजट 2016-17 में 6,900 करोड़ था, 2017-18 में इसे घटाकर 3,500 करोड़ कर दिया गया और 2018-19 में यह केवल 1,500 करोड़ रह गया है। पहले खाद्यानों एवं सब्सिडी हेतु भी इस निधि का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब इसे केवल दलहन तक सीमित कर दिया गया है।

अन्य खोखले वादे

सरकार की बहुचर्चित बीमा योजना— प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना, किसानों को उत्पादन समर्थन प्रदान करवाने का एक माध्यम है। यह योजना आपात घटनाओं के कारण फ़सल ख़राब हो जाने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करवाती है। किसान वित्तीय सहायता प्राप्त दर पर प्रीमियम का भुगतान करते हैं, तथा बाक़ी ख़र्च केंद्र एवं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उठाया जाता है। इस निधि का इस्तेमाल भी सार्वजनिक निधि का निगमों की ओर हस्तांतरण करने के लिए किया जा रहा है। जन-कल्याण के नाम पर यह योजना बीमा कम्पनियों के लिए लाभ अर्जित करने का औज़ार बनकर रह गयी है। जुलाई 2017 में संसद के सामने प्रस्तुत किये गये आँकड़ों से यह उद्‌घाटित होता है कि 2016-17 की खरीफ़ और रबी फ़सलों के माध्यम से 11 बीमा कम्पनियों ने फ़सल बीमा प्रीमियम के तौर पर 20,374 करोड़ रुपये प्राप्त किये लेकिन उन्होंने केवल 3,655 करोड़ के दावों का ही भुगतान किया। लेकिन इस रक़म के माध्यम से कुल प्राप्त दावों में केवल 63 प्रतिशत का ही भुगतान किया गया। इस प्रकार बीमा कम्पनियों ने 16,700 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। यह बहुत बड़ी रक़म है।[2] यदि सरकार सभी कृषि ऋण माफ़ कर दे तो कृषि संकट में बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। देश-भर के किसान आंदोलन इस माँग को प्रमुखता से उठाते आ रहे हैं। विश्व बैंक द्वारा थोपी गयी नव-उदारतावादी नीतियों के अंतर्गत सरकार 1991 से ही किसान विरोधी नीतियाँ लागू करती आ रही है। कृषि का मौजूदा संकट इन्हीं नीतियों की देन है। तथ्य बताते हैं कि इस दौरान 70 प्रतिशत किसानों की आय में गिरावट आयी है। परिणामस्वरूप, 1992 से 2012 के दो दशकों के दौरान क़र्ज़दार कृषक परिवारों (इसका अर्थ है कम-से-कम 0.002 हेक्टेयर पर कृषि करने वाले ग्रामीण परिवार) की संख्या 25.9 प्रतिशत से बढ़कर 45.9 प्रतिशत हो गयी है (एनएसएस द्वारा किये गये अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण के अनुसार)। प्रति परिवार ऋण की मात्रा में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है, 2012 में यह 1.5 लाख था।[3] भारत के सीमांत किसानों के लिए, अनौपचारिक स्रोतों, विशेषत: सूदखोरों से लिए गये ऋण का अंश बढ़ता जा रहा है। कृषि के इस गहराते संकट के कारण ही पिछले दो दशकों के दौरान लगभग 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं।[4] मोदी सरकार के पहले साल के दौरान किसानों की आत्महत्या की संख्या दुगुनी हो गयी[5] जिसके पश्चात सरकार ने आँकड़े जारी करना बंद कर दिया।

यहाँ यह दावा नहीं किया जा रहा है कि इस ऋण को माफ़ कर देने से कृषि संकट स्वत: हल हो जाएगा। इसके लिए तो एक सर्वग्राही राष्ट्रीय कृषि नीति बनाने की आवश्यकता होगी। लेकिन क़र्ज़

---

[2] जुलाई 20, 2017 को http://www.thehindubusinessline.com पर प्रकाशित रिपोर्ट. देखें, दिल्ली सोलिडैरिटी ग्रुप, https://www.scribd.com.

[3] भारत में क़र्ज़ और निवेश के मुख्य संकेतकों को समझने के लिए देखें, www.icssrdataservice.in तथा http://mospi.nic.in.

[4] पी. साईनाथ (2017) तथा लोला नय्यर (2017).

[5] http://www.indiatvnews.com. पर अगस्त 19, 2016 को प्रकाशित रिपोर्ट.

माफ़ी की ऐसी किसी नीति की दिशा में नि:संदेह एक महत्त्वपूर्ण क़दम होगा। क़र्ज़ माफ़ी की बजाय जेटली ने किसानों पर और अधिक क़र्ज़ लाद दिया है। उन्होंने केवल वादा किया है कि संस्थागत ऋण प्रवाह को 10 लाख करोड़ से बढ़ाकर आगामी वित्त वर्ष में 11 लाख करोड़ किया जाएगा। लेकिन यह भी केवल काग़ज़ी घोषणा है। बजट में इसकी तैयारी का सुराग़ तक नहीं मिलता। जेटली ने केवल यह वादा किया है कि बैंक इतनी रक़म किसानों को उधार देंगे, इसका बजट से कोई लेना-देना नहीं है। यह एक अलग विषय है कि बैंकों के पास कृषि ऋण के रूप में उपलब्ध साख का एक बड़ा हिस्सा किसानों के बजाय कृषि-व्यवसायी निगमों को मिलता है।[6] किसान संगठन यह माँग करते रहते हैं कि सरकार अपवर्जित कृषक समुदायों (स्त्री किसान, आदिवासी किसान, काश्तकार तथा भूमिहीन किसान) को संस्थागत ऋण की परिधि में लेकर आये। लेकिन जेटली ने इस माँग पर भी ध्यान नहीं दिया। कृषि ऋण के संबंध में केवल एक प्रावधान किया गया है— किसानों को ब्याज पर सब्सिडी प्रदान करना; पिछले वर्ष की ही तरह इसके लिए केवल 15,000 करोड़ राशि आबंटित की गयी है।

ग्रामीण विकास हेतु अपर्याप्त निवेश

कृषि की स्थिति ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सामान्य अवस्थिति पर निर्भर करती है, इसीलिए कृषि के विकास हेतु ग्रामीण विकास की दिशा में निवेश करना अति आवश्यक है। इस दिशा में परिव्यय की स्थिति पूर्णत: निराशाजनक है। पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में इस बार ग्रामीण विकास (ग्रामीण विकास मंत्रालय) हेतु केवल 3.6 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की सम्भावना है। इसमें मुद्रास्फीति को जोड़ लें तो यह वृद्धि और भी कम हो जाएगी।

'प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)' ग्रामीण विकास विभाग की एक महत्त्वपूर्ण योजना है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने यह योजना इसलिए तैयार की है ताकि '2022 तक इस देश के प्रत्येक ग़रीब व्यक्ति के पास अपना घर हो।' उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 में 51-51 लाख मकानों का निर्माण करेगी। लेकिन उन्होंने इस बात का ज़िक्र नहीं किया कि वर्ष 2017-18 में कितने मकान बनाए गये। इसका कारण स्पष्ट है : ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट कहती है कि 14 मार्च 2018 तक केवल 7.45 लाख मकानों का निर्माण किया गया था।[7] 2018-19 के लिए वित्त मंत्री ने पिछले वर्ष की तुलना में इस योजना के बजट में 9 प्रतिशत की कटौती कर दी है (23,000 करोड़ से घटाकर 21,000 करोड़)। यह तो स्पष्ट है कि सरकार मकान बनाने को लेकर गम्भीर नहीं है। यह भी जेटली का एक और झूठ है। जेटली ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के बारे में भी बड़े-बड़े वादे किये। लेकिन इस वर्ष भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए पिछले वर्ष जितनी ही राशि (19,000 करोड़ रुपये) आबंटित की गयी है। इस तरह, मुद्रास्फीति के लिहाज़ से वास्तविक व्यय में कमी आयी है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए भी ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आबंटन किया गया है। भगवान जाने कि इस विभाग के अंतर्गत आबंटन क्यों किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग़रीबों और विशेषत: असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह कार्यक्रम 40 वर्ष से ऊपर की विधवाओं तथा 60 साल से ऊपर के वृद्धों को केवल 200 रुपये की माहाना पेंशन प्रदान करवाता है। लेकिन सरकार इसमें भी बचत करने की जुगत में लगी रहती है और सभी वृद्धों का पंजीकरण नहीं किया जा रहा है, अत: 2017-18 का संशोधित अनुमान बजटीय अनुमान से 750 करोड़ रुपये कम है।

---

[6] आर. रामाकुमार तथा पल्लवी चव्हाण (2014) तथा http://www.rupe-india.org.पर प्रकाशित लेख.

[7] देखें, 'प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण: एट ए ग्लांस', http://ruraldiksha.nic.in.

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) ग्रामीण विकास विभाग की सबसे महत्त्वपूर्ण योजना है। यह योजना प्रत्येक इच्छुक परिवार को साल में कम-से-कम 100 दिन का रोज़गार प्रदान करने की गारंटी देता है। हालाँकि यह बहुत कम है लेकिन इससे ग्रामीण समाज को थोड़ी राहत तो मिल ही जाती है। यह योजना गहराते हुए ग्रामीण संकट में राहत प्रदान करने तथा भोजन सुरक्षा को सुधारने हेतु बेहद कारगर साबित हो सकती है। अध्ययनों से पता चलता है कि ग्रामीण आय में वृद्धि, भोजन की उपलब्धता, भुखमरी में कमी तथा ग्रामीण क्षेत्रों से संकटकालीन पलायन को नियंत्रित करने में इस योजना की भूमिका काफ़ी सकारात्मक रही है।

इस महत्त्वपूर्ण योजना के लिए भी पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान जितना ही (55,000 करोड़ रुपये) आबंटन किया गया है। इसका अर्थ यह है कि वास्तव में इसमें कटौती हुई है। इसके अलावा, इस वर्ष आबंटित की गयी राशि का एक हिस्सा पिछले वर्ष की देयताओं की पूर्ति करने के लिए उपयोग किया जाएगा। इन देयताओं हेतु लगभग 6,000 करोड़ रुपये ख़र्च करने पड़ेंगे।[8] इसका अर्थ यह है कि पिछले वर्ष के बराबर परिव्यय करने हेतु 2018-19 हेतु कुल परिव्यय 55,000+4,400 (8 प्रतिशत मुद्रास्फीति)+6,000=65,400 करोड़ रुपये होना चाहिए था। 2018-19 हेतु वास्तविक आबंटन इससे 16 प्रतिशत कम है।

दूसरे, यदि सरकार ने पिछले वर्ष के अनुरूप बजट आबंटन कर भी दिया होता, तो भी वह इस योजना के पूर्ण क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त न होता। मनरेगा एक माँग-आश्रित योजना है। यह इच्छुक व्यक्ति को 100 दिन का रोज़गार प्रदान करवाती है। 2006 में जब से यह योजना शुरू हुई तब से किसी भी सरकार ने इसके लिए इतनी राशि का आबंटन नहीं किया है कि सबको 100 दिन का रोज़गार प्रदान करवाया जा सके। मोदी सरकार के चार वर्षों के दौरान अब तक प्रति परिवार 50 व्यक्ति-दिन से भी कम रोज़गार प्रदान करवाया गया है। इस कटौती का सबसे बुरा प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र के दरिद्रतम लोगों पर पड़ने वाला है।

प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के अंतर्गत ग्रामीण (और नगरीय) क्षेत्रों में विद्युत प्रदान की जाती है और यह योजना ग्रामीण समाज को बहुत अधिक लाभ पहुँचा सकती है; हालाँकि यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत नहीं बल्कि ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि 'यदि एक घंटा भी बिजली चली जाती है तो हमारी बेचैनी बहुत बढ़ जाती है। अब उन बच्चों और महिलाओं के बारे में सोचिए जिनको बिजली मयस्सर ही नहीं है।' और उन्होंने घोषणा की कि 'इस योजना के अंतर्गत 16,000 करोड़ के ख़र्च के साथ' दिसम्बर 2018 तक 4 करोड़ ग्रामीण और शहरी परिवारों को बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने तिथियों को गड्डमड्ड कर दिया। यह योजना सितम्बर 2017 में शुरू की गयी थी और सरकार ने 2017 से 2019 तक दो वर्षों के लिए 16,320 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया था (इसमें से ग्रामीण परिवारों हेतु 14,025 करोड़ परिव्यय निर्धारित किया गया था)। इसमें केंद्र को 12,350 करोड़ रुपया प्रदान करवाना था। वित्त वर्ष 2017-18 में केंद्र सरकार को इस योजना हेतु 3,600 करोड़ रुपया उपलब्ध कराना था लेकिन केंद्र ने केवल 2,000 करोड़ ही दिया। इस वर्ष 8,720 करोड़ का आबंटन किया जाना था लेकिन केवल 3,500 करोड़ रुपये ही आबंटित किये गये हैं।[9] वित्त मंत्री ने एक और झूठ बोल दिया!

---

[8] जयति घोष (2018). http://www.macroscan.org. एक अन्य अनुमान में इसे 7,000 करोड़ रुपये बताया गया है. देखें, रुचिका चित्रबंशी (2017).

[9] 'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना- सौभाग्य', https://www.india.gov.in; 14 मार्च, 2018 को देखा गया; कुमार सम्भव श्रीवास्तव (2018).

कृषि संबंधी कुल आबंटन

आइए, अब कृषि संबंधी कुल बजट का जायज़ा लेते हैं (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय तथा उर्वरक विभाग)। इन सभी मंत्रालयों/विभागों का कुल बजट 2.51 लाख करोड़ रुपये है। 2017-18 में यह कुल बजट परिव्यय का 11 प्रतिशत था। 2018-19 में यह घटकर 10.30 प्रतिशत हो गया है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कृषि संबंधी कुल परिव्यय बजट का केवल 1.34 प्रतिशत है। पिछले वर्ष के बजट अनुमान में यह 1.4 प्रतिशत था। जिस क्षेत्र पर देश की 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या की आजीविका निर्भर करती है उस क्षेत्र की यह हालत है।

हालाँकि मोदी और जेटली किसान कल्याण के बारे में बड़ी-बड़ी डींगें मारते रहते हैं कि 2022 तक किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी लेकिन उनके द्वारा लागू की गयी नीतियों के कारण कृषि संकट और अधिक बढ़ गया है।[10] इन्हीं नीतियों के कारण मोदी सरकार के चार वर्षों के दौरान कृषि की जीडीपी संवृद्धि दर गिरकर सिर्फ़ 1.9 प्रतिशत प्रति वर्ष रह गयी है जबकि संप्रग सरकार के दस वर्षों (2004-05 से 2013-14) के दौरान यह 3.7 प्रतिशत प्रति वर्ष थी।[11]

क्या मोदी सरकार के पास कृषि क्षेत्र पर ख़र्च करने के लिए पैसा नहीं है? पैसा तो बहुत है। जैसा कि पहले चर्चा की जा चुकी है, यदि सरकार कॉरपोरेट घरानों को दी जाने वाली सब्सिडी और हस्तांतरण में कटौती कर दे तो यह कृषि संबंधी क्षेत्रों पर अपने परिव्यय में दुगनी, यहाँ तक कि तिगुनी वृद्धि कर सकती है और इस क्षेत्र को वर्तमान 2.5 लाख करोड़ की बजाय 5-7.5 लाख करोड़ प्रदान किया जा सकता है। सरकार सारे कृषि ऋण भी माफ़ कर सकती है, इससे सरकार के ऊपर 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बोझ नहीं पड़ेगा।[12]

इसके विपरीत मोदी सरकार किसान विरोधी नीतियाँ क्यों लागू करती जा रही है? इनके कारण लाखों किसानों को खेती छोड़नी पड़ी है और किसान आत्महत्याओं में वृद्धि हुई है। नीति आयोग, एक सरकारी नीति-निर्माता निकाय द्वारा 2015 में तैयार किये गये एक प्रपत्र से इसका कारण स्पष्ट हो जाता है, जिसमें यह कहा गया है कि लघु स्तरीय खेती कृषि के विकास में सबसे बड़ी बाधा है : 'घरेलू एवं वैश्विक बाज़ार में उभरते हुए अवसरों का लाभ उठाने के लिए कॉरपोरेट सेक्टर कृषि-व्यवसाय में निवेश करने को उत्सुक है, अत: इस क्षेत्र हेतु सुचारु व्यावसायिक वातावरण प्रदान करने वाले सुधारों की आवश्यकता है। लघु स्तर इस क्षेत्र की वृद्धि में एक बड़ी बाधा है, यह भारतीय किसानों की एक बड़ी संख्या द्वारा उच्च मूल्य की कृषि हेतु विविधीकरण के मार्ग में भी बाधा है।'[13]

कृषि क्षेत्र में नव-उदारतावादी नीतियों का वास्तविक उद्देश्य कॉरपोरेट खेती को बढ़ावा देना है और छोटे किसानों को कृषि से बेदख़ल किये बिना यह उद्देश्य हासिल नहीं किया जा सकता। एक अन्य आधिकारिक दस्तावेज़ में यह उद्देश्य बिल्कुल दो टूक ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। इसके अनुसार अगले पाँच सालों में यानी 2022 तक, कृषि-कार्य में लगी जनसंख्या को वर्तमान 57 प्रतिशत से घटाकर 38 प्रतिशत तक लाया जाना है।[14] राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद् की रिपोर्ट में भी इस ओर इशारा किया गया है। इसका कारण स्पष्ट है— किसानों से कृषि-कार्य छुड़वाने के बाद उन्हें फ़ैक्ट्री मज़दूरों के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा।

स्पष्ट है कि आज़ाद भारत के इतिहास में मोदी सरकार सबसे अधिक किसान विरोधी सरकार है।

---

[10] उदाहरण के लिए देखें, *स्पेक्टर ऑफ़ फ़ासिज़्म,* पूर्वोक्त; नीरज जैन (2017).

[11] अशोक गुलाटी (2018).

[12] देखें, http://www.business-standard.com.पर प्रकाशित रिपोर्ट

[13] मई, 2017, http://www.rupe-india.org.

[14] देविंदर शर्मा (2017).

बजट और सामाजिक क्षेत्र

चूँकि अगले वर्ष चुनाव होने हैं अत: यह तो स्पष्ट था कि अरुण जेटली अपने चुनाव-पूर्व बजट में यह राग गाएँगे कि उनकी सरकार लोगों, किसानों, निर्धनों, महिलाओं, छोटे उद्यमियों तथा समाज के अन्य निर्बल वर्गों के लिए सबसे ज़्यादा हमदर्दी रखती है। उन्होंने सिर्फ़ अतीत के बारे में ही नहीं बल्कि आगामी राजकोषीय वर्ष के संबंध में भी बहुत से दावे किये कि किस प्रकार समाज के इन वर्गों के कल्याण हेतु उनकी सरकार सार्वजनिक व्यय में भारी वृद्धि करते हुए बहुत-सी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है।

लेकिन जब सामाजिक क्षेत्र के लिए आबंटन करने की बारी आयी तो जनता को गच्चा दे दिया गया। सामाजिक कल्याण संबंधी मंत्रालयों हेतु नियत सरकारी व्यय में कोई महत्त्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है। 2017-18 के संशोधित अनुमान की तुलना में इसमें केवल 9.18 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने की सम्भावना है। मुद्रास्फीति के मद्देनज़र यह वृद्धि नाकाफ़ी है क्योंकि बजट परिव्यय और जीडीपी के प्रतिशत के तौर पर इसमें कमी आयी है।

विमुद्रीकरण और जीएसटी जैसी नीतियाँ पहले ही भारत के ग़रीब वर्ग को बहुत अधिक नुक़सान पहुँचा चुकी हैं। यदि मोदी सरकार को इस देश के आम लोगों की ज़रा भी परवाह होती तो वह सामाजिक क्षेत्र हेतु आबंटन में अवश्य वृद्धि करती। मोदी सरकार का जन-विरोधी चरित्र इस तथ्य से भी ज़ाहिर हो जाता है कि केंद्र सरकार के समाज कल्याण संबंधी सभी मंत्रालयों पर किया गया व्यय यानी 5 लाख करोड़ रुपये धनाढ्य वर्ग को प्रदान की गयी कुल कर छूट 5.5 लाख करोड़ रुपये से भी कम है।

सामाजिक क्षेत्र में व्यय द्वारा माँग को बढ़ावा देना

आइए, अब एक समाजवादी दृष्टिकोण से बजट के तथ्य-आधारित आलोचनात्मक मूल्यांकन की बजाय इसका पूर्णत: पूँजीवादी अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से मूल्यांकन करें। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमणियन द्वारा प्रस्तुत इकॉनॉमिक सर्वे 2017-18 में जीडीपी के अनुपात के रूप में सकल निवेश में आयी भयंकर गिरावट पर विस्तार से चर्चा की गयी है। सर्वे कहता है : जीडीपी के अनुपात में सकल स्थिर पूँजी निर्माण 2003 में 26.5 प्रतिशत था। 2007 में यह बढ़कर 35.6 प्रतिशत हुआ लेकिन 2017 में यह गिरकर 26.4 प्रतिशत पर आ गया। सर्वे में स्वीकार किया गया है कि निवेश दरों में इतना अधिक उतार-चढ़ाव भारत के इतिहास में पहले कभी घटित नहीं हुआ। पिछले 15 वर्ष सम्पूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए युगांतरकारी साबित हुए हैं, लेकिन इस दौर में भारत के अलावा निवेश में इस स्तर का चढ़ाव और गिराव दुनिया के अन्य किसी देश में घटित नहीं हुआ है।[15] सर्वे में बिना किसी हीला-हवाली के साफ़ कहा गया है : भारत की निवेश गिरावट का दिशा-परिवर्तन करना मुश्किल प्रतीत होता है। मंदी जितनी गहराई तक जाएगी, पुनरुत्थान की प्रक्रिया भी उतनी ही मंद और उथली होगी।[16] जैसा कि हम ऊपर अपनी चर्चा में इंगित कर चुके हैं, विमुद्रीकरण और जीएसटी जैसी तबाहकुन नीतियों के कारण 2016 की दूसरी छमाही के बाद से आर्थिक मंदी की स्थिति गम्भीरतर होती गयी है। यह अलग बात है कि अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने इस संकट से इनकार किया है और दावा किया है कि भारत विश्व की तीव्रतम वृद्धिमान अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।

इस आर्थिक मंदी से निपटने का एकमात्र मार्ग यही है कि सामाजिक क्षेत्र के व्यय में वृद्धि करते हुए माँग को बढ़ावा दिया जाए। यह एक सुस्थापित तथ्य है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे

---

[15] देखें, *इकॉनॉमिक सर्वे 2017-18* : 43-44. पूर्वोक्त;

[16] उपरोक्त : 53.

सामाजिक क्षेत्रों में किया गया सरकारी व्यय एक सकारात्मक गुणक की भूमिका अदा करता है।[17] (मौद्रिक गुणक सरकारी व्यय के आथिक वृद्धि पर होने वाले प्रभावों का अनुमान प्रदान करवाता है। 1 से अधिक का गुणक सकारात्मक संवृद्धि प्रोत्साहन का द्योतक माना जाता है अर्थात प्रति 1 रुपये के निवेश के बदले 1 रुपये से अधिक का प्रतिलाभ, जबकि 1 से कम का गुणक व्यय के बदले हुई हानि को दर्शाता है)।

लेकिन वित्त मंत्री ने बजट में ऐसा कोई काम नहीं किया है। वे अपने बजट भाषण में कहते हैं कि सरकार विवेक पूर्ण मौद्रिक प्रबंधन तथा मौद्रिक घाटे के नियंत्रण को सर्वोच्च वरीयता प्रदान करती है। आम भाषा में कहें तो इसका अर्थ यह होता है कि सरकार को अपने व्यय में कटौती करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि उन्होंने बजट परिव्यय में सरकार के सामाजिक क्षेत्र संबंधी व्यय में कटौती की है।

जेटली को 'कर प्रोत्साहन' अथवा 'निवेश सब्सिडी' अथवा बैंक ऋण को बट्टे खाते में डालने आदि-आदि के द्वारा धनाढ्य वर्ग को लाखों करोड़ रुपयों की सब्सिडी प्रदान करने में कोई समस्या नज़र नहीं आती है। लेकिन जब निर्धन कल्याण पर किये जाने वाले व्यय बढ़ाने की बारी आती है तो मौद्रिक घाटे को नियंत्रित करने का बहाना लेकर वे इसमें वृद्धि से इनकार कर देते हैं।

नव-उदारतावाद का यही अर्थ है— विदेशी और भारतीय कॉरपोरेट घरानों के लाभार्जन हेतु अर्थव्यवस्था का संचालन करना, निर्धन कल्याण हेतु बनाई गयी योजनाओं की निधि में बेशर्मी के साथ कटौती करना और इससे हुई बचत को कॉरपोरेट घरानों की तिजोरी में ठूँस देना। 1991 में वैश्वीकरण की शुरुआत के बाद जो भी सरकार केंद्र में सत्तासीन हुई है उसने पूरी शिद्दत के साथ इन्हीं नीतियों पर अमल किया है; मोदी सरकार इन नीतियों को और ज़्यादा बेशर्मी से लागू करवाने पर तुली हुई है।

यही भाजपा-आरएसएस का राष्ट्रवाद है। यह विश्वविद्यालयों में बड़े-बड़े डण्डे-झण्डे लहराने और और सिनेमा हॉल में लोगों को राष्ट्रगान के लिए खड़े होने तक मज़बूर करने पर सीमित है, जबकि इनकी हक़ीक़त यह है कि ये आम आदमी के साथ छलावा करते हुए स्वयं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और महाकाय विदेशी निगमों के सामने साष्टांग दण्डवत् प्रणाम करते हैं।

आइए, अब कुछ महत्त्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों हेतु किये गये बजट आबंटन का जायज़ा लेते हैं।

शिक्षा हेतु आबंटन : अंधकार युग की वापसी

अपने बच्चों को नि:शुल्क, अनिवार्य, समतामूलक और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रदान किये बिना (तथा आगे चलकर इसका विस्तार करते हुए माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा प्रदान किये बिना) दुनिया में कोई भी राष्ट्र तरक़्क़ी नहीं कर पाया है। चूँकि निजी क्षेत्र केवल लाभार्जन हेतु ही निवेश करता है, अत: दुनिया में प्रत्येक देश ने, यहाँ तक कि कट्टर पूँजीवादी देशों ने भी यह लक्ष्य सरकारी शिक्षा के ज़रिये ही हासिल किया है। बदक़िस्मती से भारत आज़ादी के सात दशक बाद भी अधिकांश बच्चों को शिक्षा उपलब्ध नहीं करवा पाया है।

भारतीय योजना आयोग ने यह स्वीकार किया है 42.2 प्रतिशत बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं।[18] और जो बच्चे इसके बाद भी स्कूलों में बच जाते हैं उनमें से अधिकांश स्कूलों की हालत अत्यंत दयनीय है :

■ देश के अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में एक ही शिक्षक एक ही कमरे में दो या तीन कक्षाओं को एक साथ पढ़ा रहा होता है।[19]

---

[17] उदाहरण के लिए देखें, आरोन रीव्स और अन्य (2013).

[18] देखें, *सोशल सेक्टर*, http://planningcommission.nic.in. : 53.

[19] http://www.dise.in. सितम्बर 30, 2011 तक का डेटा संग्रहित किया गया.

■ लगभग एक -तिहाई स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, और 40 प्रतिशत स्कूलों में बिजली उपलब्ध नहीं है।[20]

■ देश भर में शिक्षकों के लगभग 10 लाख पद रिक्त पड़े हैं (9 लाख पद प्राथमिक विद्यालयों में तथा एक लाख पद माध्यमिक विद्यालयों में) यह देश में शिक्षकों के कुल पदों का लगभग 20 प्रतिशत बैठता है।[21]

ऐसी विकट परिस्थितियों में यह कोई हैरानी की बात नहीं कि एक सर्वेक्षण के अनुसार पाँचवीं कक्षा के 48 प्रतिशत बच्चे दूसरी कक्षा के स्तर की किताब पढ़ने में असमर्थ थे और आठवीं कक्षा में 43 प्रतिशत बच्चों को भाग करना नहीं आता था।[22]

बच्चों के साथ छलावा

इतने बुरे हालात के बावजूद सरकार विश्व बैंक के संरचनागत समायोजन कार्यक्रम की पूर्ति करने के लिए शिक्षा के निजीकरण पर ज़ोर देती जा रही है। रणनीति बिल्कुल साफ़-सरल है: स्कूली शिक्षा की इमदाद को रोकने तथा शिक्षकों के पदों को रिक्त बनाए रखने के माध्यम से सरकारी स्कूल तंत्र की गुणवत्ता को नष्ट करना; इसके पश्चात् बच्चे स्वत: ही स्कूल छोड़कर जाने लगेंगे और साधन-सम्पन्न लोग अपने बच्चों का दाख़िला निजी विद्यालयों में करवा देंगे। मोदी सरकार के अंतर्गत शिक्षा का निजीकरण और तेज़ी के साथ किया जा रहा है।

इस वर्ष के बजट में पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में मात्र 6.4 प्रतिशत वृद्धि की गयी है। इसका अर्थ यह है कि इसमें वास्तव में कटौती हुई है। जेटली के पाँचों बजटों में विद्यालयी शिक्षा के बजट में इस क़दर कटौती की गयी है कि वास्तविक मूल्य के आधार पर 2018-19 का

---

[20] रंजीत भट्टाचार्य और आदर्श गंगवार (2017) तथा मधुर कार्णिक (2016).

[21] जयति घोष (2018) तथा एलिसन सैल्डान्हा, प्राची साल्वे तथा विपुल विवेक (2018).

[22] जनवरी 19, 2017, http://www.livemint.com.

बजट 2014–15 के बजट से लगभग 33 प्रतिशत कम है। इसका परिणाम यह हुआ है कि अब तक लगभग 2 लाख सरकारी स्कूलों पर ताला लग चुका है।[23]

उच्च शिक्षा का कारोबार

उच्च शिक्षा की बात करें तो कॉलेजों में छात्रों की संख्या— इसे सकल नामांकन अनुपात अथवा (17–23/18–24 आयु वर्ग की कुल युवा आबादी की तुलना में विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत) द्वारा परिभाषित किया जाता है। यह विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है; भारत का नामांकन अनुपात केवल 20 है जबकि विकसित देशों में यह 60 से ऊपर है। कुछ देशों में तो यह 70 से भी अधिक है।[24] उच्च शिक्षा में बढ़ते निजीकरण और वाणिज्यीकरण की एक बड़ी वजह यह है कि वर्तमान समय में आधे से अधिक नामांकन निजी शैक्षणिक संस्थानों में होता है।[25] चूँकि ये संस्थान लाभार्जन के उद्देश्य से स्थापित किये गये हैं, अत: अधिकांश विद्यार्थी इनकी ऊँची फीस भरने में असमर्थ हैं। चूँकि सरकार उच्च शिक्षा पर अपने व्यय में कटौती करती जा रही है जिसके चलते कॉलेजों की निधि कम होती जा रही है और इसकी भरपाई करने के लिए वे अलग–अलग तरह के बहाने बनाकर फ़ीस में वृद्धि करते जा रहे हैं। इसका नतीज़ा यह हुआ है कि निर्धन परिवारों से आने वाले विद्यार्थी सरकारी कॉलेजों की फ़ीस भरने में भी असमर्थ हैं।

मोदी सरकार के अंतर्गत यह प्रवृत्ति और आक्रामक हुई है। पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में उच्च शिक्षा के बजट में केवल 0.42 प्रतिशत की मामूली सी वृद्धि की गयी है। इसे सही मायने में कटौती कहना ज़्यादा ठीक होगा। जेटली के 2014–15 की बजट से तुलना करने पर यह तथ्य सामने आता है कि वास्तव में इस वर्ष का आबंटन 7 प्रतिशत तक कम हो गया है। भारत में इंजीनियरिंग शिक्षा की नियामक संस्था, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को पिछले वर्ष की तरह 485 करोड़ रुपये ही प्रदान किये गये हैं, जो वास्तविक अर्थों में कटौती का सूचक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों का नियमन करता है और लगभग 10,000 से अधिक संस्थानों को अनुदान प्रदान करता है। पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान— 4,923 करोड़ की तुलना में इस वर्ष इसे मात्र 4,723 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। 2015–16 में इसे 9,315 करोड़ रुपये आबंटित किये गये थे। इस तरह, दूसरे शब्दों में कहें तो पिछले तीन वर्षों में इसका आबंटन घटकर आधा रह गया है।

यह प्रवृत्ति केंद्र सरकार द्वारा उच्च शिक्षा हेतु आबंटित बजट में भी नज़र आती है। आबंटित बजट का एक बड़ा हिस्सा (एक–तिहाई से भी अधिक) तथाकथित 'उत्कृष्ट संस्थानों'— आईआईटी, आईआईएम और केंद्रीय विश्वविद्यालयों को प्रदान किया जाता है। इस वर्ष इन संस्थानों के बजट में भी कटौती की गयी है। इसका अर्थ यह है कि पहले से ही महँगे हो चुके इन संस्थानों की फ़ीस और अधिक हो जाएगी।

इस वर्ष वित्त मंत्री ने कहा था कि 'रिवाइटलाइज़िंग इन्फ्रास्ट्रक्चर ऐंड सिस्टम्स इन एजुकेशन' जैसी एक नयी पहल के ज़रिये प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में शोध एवं इससे संबंधित अधिरचना को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने अगले चार वर्षों के दौरान एक लाख करोड़ के निवेश की घोषणा की। लेकिन इसमें पेंच यह है कि यह निवेश बजट से प्रदान नहीं किया जाएगा। शैक्षणिक संस्थानों को सरकार द्वारा पिछले वर्ष स्थापित की गयी एक ग़ैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी— उच्च शिक्षा वित्तपोषण प्राधिकरण द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा। यह कम्पनी इस उद्देश्य के लिए बाज़ार से पैसा उधार लेगी। इसके तहत मूल धन

---

[23] अम्बरीश राय (2018), https://thewire.in.

[24] जे.बी.जी. तिलक (2015). और http://www.educationforallinindia.com.; साथ ही देखें, http://lokayat.org.in.

[25] उपरोक्त : 52.

की अदायगी शैक्षणिक संस्थान को करनी होगी, जबकि सूद की अदायगी केंद्र सरकार करेगी। बजट में केवल सूद हेतु आबंटन किया गया है। 2017–18 में प्राधिकरण को 250 करोड़ का आबंटन किया गया था जिसे 2018–19 में बढ़ाकर 2,750 करोड़ कर दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि अपना उन्नयन करने के लिए कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों को प्राधिकरण से ऋण लेना होगा और फिर इस ऋण की अदायगी के लिए उन्हें फ़ीस में वृद्धि करनी होगी। ज़ाहिर है कि इससे उच्च शिक्षा और अधिक महँगी हो जाएगी।

स्वास्थ्य हेतु आबंटन : बजट का सबसे बड़ा छल

जेटली द्वारा 'विश्व के विशालतम स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम' की घोषणा इस बजट का एक अन्य बड़ा आकर्षण था। इस योजना के अंतर्गत सरकार अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में (यानी इसमें आउट–पेशेंट देखभाल शामिल नहीं है) देश के 10 करोड़ निर्धन परिवारों (लगभग 50 करोड़ लोगों) को प्रति परिवार 5 लाख रुपया स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध करवाएगी।

यह भारतीय मीडिया की निस्सारता का ही प्रमाण है कि प्रत्येक टीवी चैनल ने इस घोषणा को ज़ोर–शोर से पेश किया और लगभग प्रत्येक समाचारपत्र ने इसे बड़े–बड़े हर्फ़ों में पहले पन्ने पर प्रकाशित किया। हक़ीक़त यह है कि यह घोषणा बजट का सबसे बड़ा छल था।

यदि यह मान भी लें कि वित्त मंत्री निर्धन लोगों को अस्पताल भर्ती के लिए चिकित्सा बीमा प्रदान करवाने को लेकर गम्भीर हैं, तो भी इसके लिए पर्याप्त आबंटन नहीं किया गया है। इस योजना के लिए उन्होंने केवल 2,000 करोड़ का आबंटन किया है। सरकारी कर्मचारी भी यह स्वीकार करते हैं कि इस योजना के लिए कम से कम 10,000 करोड़ राशि की आवश्यकता होगी। अन्य विशेषज्ञ इस राशि को और भी अधिक आँकते हैं।[26]

वित्त मंत्री ने इस प्रकार की घोषणा पहली बार नहीं की है। 2016 के बजट भाषण में भी उन्होंने प्रत्येक परिवार को एक लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाने वाली एक नयी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की घोषणा की थी। जेटली के बजट भाषण के छह महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 15, अगस्त 2016 को लाल क़िले से यह संकल्प दोहराया। लेकिन इसके डेढ़ साल बाद भी यानी 2017 के अंत तक केन्द्रीय मंत्री परिषद् ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी थी। परिणामत: यह योजना कभी शुरू ही नहीं हो पाई।[27] इसकी जगह पहले से स्थापित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को ही आगे चलाया जाता रहा। यह योजना प्रत्येक परिवार को अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में प्रतिवर्ष 30,000 रुपये का बीमा कवर प्रदान करती है।

प्रश्न है कि इस योजना से कितने निर्धन परिवार लाभान्वित हुए? सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना के आँकड़े प्रस्तुत करने में आना–कानी कर रही है। अत: इस योजना का व्यापक आकलन करना भी सम्भव नहीं है। लेकिन नेशनल सैंपल सर्वे के 2014 के आँकड़े तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के स्वतंत्र आकलन से पता चलता है कि अस्पताल में भर्ती होने वाले ग्रामीण और नगरीय लोगों को केवल क्रमश: 1.2 प्रतिशत और 6.2 प्रतिशत की आंशिक प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई। अध्ययनों से यह भी सामने आया है कि निजी अस्पताल अक्सर बीमा निधि प्राप्त करने के बाद भी लोगों को अतिरिक्त पैसा अदा करने के लिए मज़बूर करते हैं।[28] इस तरह स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीनतम रूप से बहुत अधिक लोग लाभान्वित नहीं होंगे।

---

[26] दीपशिखा सिकरवर और विनय पाण्डेय (2018). देखें, फ़रवरी 3, 2018, https://econ omictimes.indiatimes.com.

[27] राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित सूचनाओं के लिए देखें, फ़रवरी 1, 2018, http://indianexpress.com; मार्च 13, 2018, https://economictimes.indiatimes.com.

[28] अनु भुयां (2018); दीपा सिन्हा (2016). 29 फ़रवरी, 2016, https://thewire.in.

इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि स्वास्थ्य बीमे की योजना को निर्धनों के लिए कोई सार्वभौम स्वास्थ्य देखभाल योजना नहीं माना जा सकता। इसकी वजह ये है कि इसमें आउट-पेशेंट लागत को शामिल नहीं किया गया है। यह स्वास्थ्य संबंधी कुल व्यय का 63.5 प्रतिशत अंश है और इसका भुगतान स्वयं लोगों द्वारा किया जाता है। लोगों के स्वास्थ्य संबंधी ख़र्च के मामले में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है। इसके कारण लोग क़र्ज़ और दरिद्रता के भँवर में धँसते जाते हैं।[29]

निजी अस्पताल और बीमा कम्पनियाँ सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से सर्वाधिक लाभान्वित होती हैं। यह प्रवृत्ति दुनिया भर में प्रवृत्ति देखी जा सकती है। यह स्पष्ट है कि सरकारी अस्पतालों में सुधार किये बिना आम लोगों को भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य की गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन इसके लिए सरकार को अपने स्वास्थ्य देखभाल बजट में वृद्धि करनी होगी।

स्वास्थ्य हेतु घटता आबंटन

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह अनुशंसा की है प्रत्येक देश को अपनी जीडीपी का कम से कम 5 प्रतिशत हिस्सा जन स्वास्थ्य सेवाओं पर ख़र्च करना चाहिए। भारत में इसके लिए बमुश्किल एक प्रतिशत का आबंटन किया जाता है। जन स्वास्थ्य पर व्यय के लिहाज़ से भारत 175 देशों में 171 वें स्थान पर आता है।[30] राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति -2017 में वादा किया गया है कि 2025 तक सरकार का स्वास्थ्य व्यय (केंद्र और राज्यों को मिलाकर) वर्तमान जीडीपी के 1.15 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया जाएगा।[31] लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकारी व्यय में प्रति वर्ष कम से कम 20 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी।[32] इसके उलट, सच्चाई यह है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आबंटन में मामूली सी वृद्धि की गयी है। इसे पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान (53,294 करोड़) से बढ़ाकर इस वर्ष 54,600 करोड़ किया गया है। यह मात्र 2.45 प्रतिशत की वृद्धि है, जिसे किसी भी दृष्टि से वृद्धि नहीं कहा जा सकता। यदि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के बजट को हटा दें तो असल में इस मंत्रालय के आबंटन में कमी आयी है।

पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान की तुलना में इस वर्ष बजट परिव्यय तथा जीडीपी दोनों के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आबंटन में कमी आयी है।

भोजन सब्सिडी

भोजन सब्सिडी का कार्यक्रम देश में भुखमरी और कुपोषण संकट का समाधान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसके अंतर्गत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ज़रिये निर्धनों को रियायती क़ीमतों पर भोजन एवं भोजनेतर सामग्री उपलब्ध करवाती है। यह कार्यक्रम संसद द्वारा 2013 में पारित किये गये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चलाया जाता है।

हमारा मानना है कि यह अधिनियम पर्याप्त नहीं है। एक उभरती हुई महाशक्ति का दावा करने वाले देश के लिए यह एक शर्मनाक अधिनियम है क्योंकि इसके तहत एक व्यक्ति को प्रति माह केवल 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है; अनाज के अलावा दाल तथा कुपोषण से लड़ने हेतु कोई आवश्यक खाद्य तेल प्रदान नहीं किया जाता जबकि पिछले कुछ वर्षों के दौरान इनकी क़ीमतों में बहुत

[29] प्राची साल्वे और स्वागता यादवार (2017), 19 अक्तूबर, 2017, http://smartinvestor.business-standard.com.
[30] डेविड कोडी और अन्य (2012) : 23-24.; निर्मल एम. नागराज (2009).
http://timesofindia.indiatimes.com.
[31] सौरिंद्रा मोहन घोष और इमराना क़दीर (2018).
[32] रेमा नागराजन (2018).

अधिक वृद्धि हुई है; तथा इस कार्यक्रम का लाभ निर्धन परिवारों के केवल 67 प्रतिशत हिस्से को ही मिलता है।[33]

देश में पोषण संकट का समाधान करने के लिए सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करके इसमें अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री भी शामिल करनी चाहिए।[34] भाजपा जब विपक्ष में थी तो 2014 के चुनावी अभियान में उसने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उपहास करते हुए 'सार्वभौम भोजन सुरक्षा' का वादा किया था। तब भाजपा ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न अंग बताया था। भाजपा नेताओं ने इस अधिनियम का विस्तार करते हुए इसमें अन्य आवश्यक खाद्य सामग्रियों को सम्मिलित करने की माँग भी की थी।[35] लेकिन सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने इस विषय पर चुप्पी साध ली है। एक आकलन के मुताबिक़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौम बनाने और प्रत्येक परिवार को प्रति माह 35 किलो गेहूँ/चावल तथा 5 किलो बाजरा प्रदान करवाने हेतु सरकारी ख़ज़ाने पर 85,000 करोड़ से अधिक का बोझ नहीं पड़ेगा (2017-18 हेतु की गयी गणना)।[36] इसी के साथ, यदि सरकार इसके ज़रिये सभी परिवारों को 2 किलो दाल तथा एक किलो खाद्य तेल उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लेती है— यदि इन दोनों सामग्रियों हेतु प्रति किलो 50 रुपया सब्सिडी मानकर चलें, तो भी सरकारी ख़जाने पर अधिकतम 40,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा। इसका अर्थ यह है कि भोजन सब्सिडी के ख़र्चे में 1.25 लाख करोड़ की वृद्धि हो जाएगी। जो सरकार अति धनाढ्य वर्ग को प्रति वर्ष 5.5 लाख करोड़ की सब्सिडी प्रदान कर देती है, उसके लिए यह कोई बड़ी रक़म नहीं है।

इस वर्ष जेटली ने पिछले वर्ष के आबंटन की तुलना में खाद्य सब्सिडी परिव्यय में 16.5 प्रतिशत की वृद्धि की है। इसका अर्थ यह है कि पिछले वर्ष की तुलना में सरकार अपनी भोजन संबंधी ख़रीद में कोई महत्त्वपूर्ण विस्तार नहीं करने जा रही है। इस बार बजट परिव्यय तथा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में खाद्य सब्सिडी मोदी सरकार के प्रथम वर्ष, 2014-15 के परिव्यय से भी कम है।

---

[33] देखें, www.lokayat.org.in.

[34] उपरोक्त.

[35] संजीब मुखर्जी (2014).

[36] नीरज जैन (2017).

बजट तथा हाशिये पर स्थित वर्ग

समाज के हाशियाकृत वर्गों— स्त्रियों, दलित एवं आदिवासियों हेतु जेटली ने अपने पिछले बजटों जितना ही आबंटन किया है।

उज्ज्वला योजना के तहत निर्धन महिलाओं को नि:शुल्क कुकिंग गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है। इस योजना हेतु बड़ी मात्रा में आबंटन किया गया है (3,200 करोड़ रुपये) तथा यह योजना चर्चा में भी बनी हुई है। इस योजना में पिछले वर्ष भी इतनी ही राशि आबंटित की गयी थी लेकिन फिर भी 1,000 करोड़ रुपये की बचत कर ली गयी और साथ ही यह दावा भी कर दिया कि 2 करोड़ से अधिक महिलाओं को नि:शुल्क गैस कनेक्शन प्रदान करवाए जा चुके हैं। इस वर्ष आबंटन की राशि पिछले वर्ष जितनी ही रखी गयी है, लेकिन जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार ने नि:शुल्क गैस कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य को 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया है।

मोदी-जेटली की अन्य बहुत सी घोषणाओं की ही तरह यह योजना भी थोथी साबित होती जा रही है। हालाँकि इस योजना के तहत कनेक्शन लेते समय महिलाओं को कोई रक़म अदा नहीं करनी होती, लेकिन चूल्हा और पहला सिलेंडर ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है और सिलेंडर की प्रत्येक भराई के समय प्राप्त होने वाली सब्सिडी में से इस राशि की वसूली की जाती है (वर्तमान समय में यह सब्सिडी बाज़ार मूल्य की लगभग एक चौथाई है)। इसका अर्थ यह है कि जब तक ऋण (1,500 रुपये) की पूरी उगाही नहीं हो जाती है तब तक इन महिलाओं को प्रत्येक सिलेंडर के बाज़ार मूल्य (वर्तमान समय में यह लगभग 650 रुपये है) का भुगतान करना होगा। लेकिन निर्धनता रेखा के अंतर्गत आने वाले परिवारों में अधिकांश परिवार सिलेंडर की क़ीमत अदा करने में असमर्थ हैं। परिणामस्वरूप, ऐसी ख़बरें आ रही हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर प्राप्त करने वाले बहुत कम परिवार सिलेंडर भराई के लिए आते हैं।[37]

भाग ए की महिला कल्याण संबंधी अधिकांश योजनाएँ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। इनके लिए अति न्यून आबंटन— 4,286 करोड़ रुपये किया गया है। पिछले वर्ष भी यह आबंटन मात्र 4,270 करोड़ रुपये था। किशोरी योजना, जिसे सबला भी कहा जाता है, के लिए 2017-18 में 460 करोड़ रुपये आबंटित किये गये थे। इस वर्ष यह राशि 500 करोड़ रुपये कर दी गयी है। 2016-17 में यह योजना 205 ज़िलों में लागू की जा रही थी। पिछले वर्ष सरकार ने यह घोषणा की थी कि अगले दो वर्षों के दौरान (2018-19 तक) इसे अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही सरकार ने इस योजना के आबंटन में भी कटौती कर दी है। 2014-15 में इस योजना के मद में 700 करोड़ रुपये आबंटित किये गये थे।

अन्य योजनाओं हेतु भी बहुत कम आबंटन किया गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार उनके प्रति गम्भीर नहीं है और इनकी घोषणा केवल प्रचार के मक़सद से की गयी है। अत: 'महिला हेल्पलाइन' को केवल 29 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। कामगार महिला होस्टलों के लिए केवल 60 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है (पिछले वर्ष यह आबंटन 50 करोड़ था जिसमें से केवल 30 करोड़ व्यय किया गया); राष्ट्रीय महिला कोष को तो 0.01 करोड़ रुपये का छप्पर-फाड़ आबंटन किया गया। इस योजना में महिलाओं को आजीविका और लघु-उद्यमों आदि के लिए सूक्ष्म ऋण प्रदान किया जाता है; केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड को मात्र 71.5 करोड़ रुपये प्रदान किये गये हैं। यह योजना विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल कल्याण हेतु बहुत से कार्यक्रम चलाती है; राष्ट्रीय महिला मिशन को 24 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। यह संस्था महिला अधिकारों के अतिक्रमण संबंधी शिकायतों की जाँच करने वाला एक वैधानिक निकाय है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में बहुत हो-

[37] देखें, https://scroll.in., पर 11 जून, 2017 को प्रकाशित रिपोर्ट.

हल्ला किया जाता है, इसका आबंटन बढ़ाकर 280 करोड़ रुपये किया गया है, लेकिन इस योजना के प्रति सरकार की गम्भीरता का अंदाज़ा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि पिछले वर्ष इसके 200 करोड़ के आबंटन में से केवल 180 करोड़ व्यय किया गया।

समाचार पत्रों में हर रोज़ बलात्कार, तेज़ाबी हमले तथा घरेलू हिंसा की ख़बरें आती रहती हैं, लेकिन सरकार की असंवेदनशीलता का पता इसी बात से चल जाता है कि उसने निर्भय फ़ण्ड का भी पूरा उपयोग नहीं किया है। दिसम्बर 2012 में एक युवती के साथ जघन्य अपराध का मामला सामने आने के बाद तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने अपने 2013 के बजट में इस फ़ण्ड का प्रावधान किया जिसके अंतर्गत 1,000 करोड़ की निधि के माध्यम से महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली सरकारी एवं ग़ैर-सरकारी मुहिमों को सहयोग प्रदान किया जाना था। जेटली ने भी अपने 2014 और 2015 के बजट में इस फ़ण्ड को 1,000 करोड़ की निधि प्रदान की लेकिन 2016 और 2017 के बजटों में इसे घटाकर 500 करोड़ कर दिया गया। इससे भी अधिक हैरानी की बात यह है कि इसमें से अधिकांश निधि अनुपयुक्त पड़ी रही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार, 2017-18 में निर्भय फ़ण्ड को 2,711 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी लेकिन इसमें से केवल 825 करोड़ का ही उपयोग किया गया है।[38] इस वर्ष भी जेटली ने 500 करोड़ का आबंटन किया है।

दलितों और आदिवासियों हेतु आबंटन

अपने 2018-19 करोड़ के बजट भाषण में जेटली ने कहा कि इस वर्ष उन्होंने अनुसूचित जातियों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए 56,619 करोड़ रुपये तथा अनुसूचित जनजातियों संबंधी योजनाओं के लिए 39,135 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं। पिछले वर्ष यह राशि क्रमश: 52,719 करोड़ तथा 32,508 करोड़ थी, अत: यह वृद्धि बहुत मामूली है। बजट का यह अंश सरासर मिथ्या है।

1970 के दशक में सरकार ने अनुसूचित जाति उप-योजना तथा जनजाति उप-योजना की शुरुआत की थी। इन योजनाओं का उद्देश्य यह था कि केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा नियत राशि को दलितों और आदिवासियों तक पहुँचाया जाए ताकि इन समुदायों और बाक़ी समाज के बीच विकास के अंतर को कम किया जा सके। इन दोनों कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को अपने योजनागत व्यय से इन योजनाओं के लिए अलग बजट शीर्षकों/उप-शीर्षकों के अंतर्गत राशि का आबंटन करना होगा और योजनागत व्यय का यह आबंटन कुल जनसंख्या में दलितों एवं आदिवासियों की जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। 2011 की जनसंख्या के अनुसार देश में दलितों की जनसंख्या 16.6 प्रतिशत तथा आदिवासियों की जनसंख्या 8.6 प्रतिशत है। इसका अर्थ यह है कि अनुसूचित जाति उप-योजना तथा जनजाति उप-योजना का आबंटन भी कम से कम इसके अनुपात में ही किया जाना चाहिए। यह अलग बात है कि इन योजनाओं हेतु कभी भी इस अनुपात में आबंटन नहीं किया गया। भाजपा के शासनकाल में यह अनुपात संप्रग सरकार के अनुपात से भी कम हो गया है। 2016-17 के बजट अनुमान में यह आबंटन क्रमश: योजनागत व्यय का 7.06 प्रतिशत तथा 4.36 प्रतिशत था।

आइए, अब अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों हेतु इस वर्ष के बजट में किये गये न्यून-आबंटन और अनुसूचित जाति उप-योजना एवं जनजाति उप-योजना से अनुबद्ध दिशा-निर्देशों के बीच एक तुलना करने का प्रयास करते हैं। दिशा-निर्देश यह स्पष्ट करते हैं कि कुल योजनागत व्यय में से अनुसूचित जाति उप-योजना तथा जनजाति उप-योजना हेतु क्रमश: 16.6 प्रतिशत तथा 8.6 प्रतिशत आबंटन किया जाना चाहिए। 2016-17 के बजट में योजनागत एवं अयोजनागत बजटों को स्पष्ट रूप

---

[38] http://www.business-standard.com.11 फ़रवरी, 2018, को प्रकाशित रिपोर्ट.

से निर्दिष्ट किया गया था। उस बजट में अनुसूचित जातियों हेतु 91,302 करोड़ रुपये (योजनागत बजट का 16.6 प्रतिशत) तथा जनजातियों हेतु 47,301 करोड़ रुपये (योजनागत बजट का 8.6 प्रतिशत) आबंटित किये जाने चाहिए थे। ये दोनों आँकड़े 2016–17 के कुल बजट व्यय का क्रमशः 4.62 प्रतिशत तथा 2.39 प्रतिशत हिस्सा थे। अब अगर यह मानकर चलें कि इस वर्ष (2018–19) भी कुल बजट में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के कल्याण हेतु इतना ही आबंटन किया गया होगा तो इसका अर्थ यह है कि 2018–19 के बजट में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को कम से कम क्रमशः 1,12,830 करोड़ तथा 58,369 करोड़ रुपये आबंटित किये जाने चाहिए थे। लेकिन वास्तविक आबंटन उपरोक्त आँकड़ों से क्रमशः 56,212 करोड़ तथा 19,234 करोड़ रुपये कम है।

निष्कर्ष

मोदी सरकार न केवल किसान विरोधी है बल्कि यह निर्धन–विरोधी भी है। उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि मोदी सरकार का अभिविन्यास निम्न है :

■ जीडीपी में वृद्धि के नाम पर लाखों करोड़ रुपयों के सार्वजनिक धन एवं संसाधनों का देशी–विदेशी महाकाय व्यावसायिक घरानों को हस्तांतरण करना;

■ मौद्रिक घाटे को नियंत्रित करने के नाम पर निर्धनों के कल्याण हेतु नियत व्यय में कटौती करना, आवश्यक सेवाओं का निजीकरण करना तथा इन्हें मुनाफ़ाखोर निजी निगमों के सुपुर्द करना;

मोदी सरकार महाकाय निगमों, अति–धनाढ्य वर्ग को लाभ पहुँचाने के लिए इस क़दर बेशर्मी के साथ अर्थव्यवस्था का संचालन कर रही है कि 2017 में केवल एक प्रतिशत लोगों ने देश में अर्जित 73 प्रतिशत सम्पदा पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया था जबकि 67 प्रतिशत निर्धन जनता के पास केवल एक प्रतिशत सम्पदा का स्वामित्व था।[39] जिस देश में भुखमरी से पीड़ित लोगों की संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा हो, जहाँ 40 प्रतिशत बच्चे मूलभूत शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं, और जहाँ जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय की कमी के कारण लाखों लोग सुसाध्य रोगों से मर जाते हैं, वही देश अरबपतियों के मामले में दुनिया में तीसरे नम्बर का देश बन चुका है। सिर्फ़ एक वर्ष के अंदर (2016 से 2017) देश में अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 121 हो गयी। देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अम्बानी की सम्पदा में 73 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उनकी कुल सम्पदा 40 मिलियन अथवा 2.6 लाख करोड़ हो गयी है। मोदी सरकार के चार सालों में अरबपतियों की संख्या दुगुने से भी ज़्यादा हो गयी है (2014 में फ़ोर्ब्स ने 56 भारतीय अरबपतियों को सूचीबद्ध किया था)।[40]

भाजपा और आरएसएस द्वारा भारत पर फ़ासीवाद थोपने की कोशिशों के पीछे भी यही कारण निहित है। वे घर वापसी और लव जिहाद जैसी मुहिमों, गौरक्षा के नाम पर गुण्डागर्दी, आक्रामक धार्मिक जुलूस निकालकर दंगे भड़काने और समाज में साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि महाकाय देशी–विदेशी निगमों के लाभार्जन में सरकार की मिलीभगत पर लोगों का ध्यान न जा सके।

संदर्भ

अम्बरीश राय (2018), 'बजट फ़ोकस इन इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल एजुकेशन कैन नॉट वर्क इन अ वैक्यूम', फ़रवरी 2, 2018, https://thewire.in.

अनु भुयां, 'बजट 2018 : जेटलीज़ 'वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ प्रोग्रैम', 1 फ़रवरी, 2018, https://thewire.in; दीपा सिन्हा, 'नेगलेक्टिंग हेल्थ एक्सपेंडीचर इन फ़ेवर ऑफ़ शमिरा ऑफ़ इंश्योरेंस', 29 फ़रवरी, 2016, https://thewire.in.

---

[39] https://thewire.in.पर प्रकाशित रिपोर्ट , 22 जनवरी, 2018.

[40] भारत में अरबपतियों की बढ़ती संख्या के लिए देखें, http://financialexpress.com. 7 मार्च, 2018 तथा http://www.vccircle.com. पर प्रकाशित रिपोर्ट, 4 मार्च, 2014.

अशोक गुलाटी (2018), 'फ्रॉम मोदी, मनमोहन, वाजपेयी टू राव, हेयर इज़ हू जेनरेटेड द लोवेस्ट एग्री ग्रोथ', जनवरी 15, 2018, http://www.financiale&press.com.

आर. रामाकुमार तथा पल्लवी चव्हाण (2014), 'बैंक क्रेडिट टू एग्रीकल्चर इन इण्डिया इन 2000 : डिस्सेक्टिंग द रिवाइवल', *रिव्यू ऑफ़ एग्रेरियन स्टडीज़,* 2014; 'इण्डियाज़ पीजेन्ट्री अंडर नियोलिबरल रूल', *आस्पेक्ट्स ऑफ़ इण्डियाज़ इकॉनॉमी,* संख्या 66–67, भाग 2, http://www.rupe-india.org.

आरोन रीव्स और अन्य (2013), 'डज़ इंवेस्टमेंट इन द हेल्थ सेक्टर प्रमोट ऑर इनहिबिट इकॉनॉमिक ग्रोथ?', *ग्लोबल हेल्थ,* सितम्बर, 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov.

इज़ द गवर्नमेंट रियली पुअर, लोकायत प्रकाशन, 2018, www.lokayat.org.in.

'इण्डिया फेसेज रुपीज 3 लाख करोड़ फार्म लोन वेवर्स – 16 टाइम्स 2017 रूरल रोड बजट', जून 17, 2017, http://www.business-standard.com.

इकॉनॉमिक सर्वे 2017–18, खण्ड 1.

'एक्सपर्ट ज्ञान : इज बजट 2018 रियली पुटिंग फार्मर्स फ़र्स्ट?', फ़रवरी 1, 2018, https://thewire.in; एलुमलाई कन्नान (2015), 'ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चरल इनकम्स : ऐन एनालिसिस ऐट द सेलेक्ट क्रॉप ऐंड स्टेट लेवल्स इन इण्डिया', *जर्नल ऑफ़ एग्रीकल्चरल चेंज,* खण्ड 15, अंक 2, https://www.researchgate.net.

'*ऐलिमेंटरी एजुकेशन इन अर्बन इण्डिया : एनालिटिकल रिपोर्ट्स, 2011–12* तथा *ऐलिमेंटरी एजुकेशन इन रूरल इण्डिया : एनालिटिकल रिपोर्ट्स, 2011–12.*; एनयूईपीए, http://www.dise.in. सितम्बर 30, 2011 तक का डेटा संग्रहित किया गया.

'की इंडीकेटर्स ऑफ़ डेट ऐंड इंवेस्टमेंट इन इण्डिया', एआइडीआइएस–आइसीएसएसआर डेटा सर्विस, एनएसएसओ कार्यालय, भारत सरकार, 2014, www.icssrdataservice.in; डेट ऐंड इंवेस्टमेंट सर्वे : एनएसएस फ़ोर्टी एट्थ राउण्ड, 1992, फ़रवरी 1998, http://mospi.nic.in.

जयति घोष (2018), 'डिड द एफएम डिलीवर फ़ॉर फार्मर्स?', *मैक्रोस्कैन,* फ़रवरी 2, 2018, http://www.macroscan.org. एक अन्य अनुमान में इसे 7,000 करोड़ रुपये बताया गया है : रुचिका चित्रबंशी, 'नरेगा में गेट रिकॉर्ड 55 के करोड़ रुपीज फॉर एफ़वाई 19', दिसम्बर 9, 2017, https://economictimes.indiatimes.com.

जयति घोष (2018), 'फेलिंग द एजुकेशन सेक्टर', *फ्रंटलाइन,* मार्च 2, 2018, http://www.frontline.in; एलिसन सैल्डांहा, प्राची साल्वे तथा विपुल विवेक (2018), 'बजट 2018 : हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन एलोकेशन अपीयर्स टू बी मोस्ट इन थ्री इयर्स बट इट इज़ंट', फ़रवरी 2, 2018, http://www.firstpost.com.

जे.बी.जी. तिलक (2015), 'हाउ इंक्लूसिव इज़ हायर एजुकेशन इन इण्डिया?', 2015, http://www.educationforallinindia.com.; साथ ही देखें, 'नियोलिबरल फ़ासिस्ट अटैक ऑन एजुकेशन', लोकायत प्रकाशन, लोकायत वेबसाइट पर उपलब्ध, http://lokayat.org.in.

'ट्वेल्थ फाइव इयर प्लान : 2012–17', खण्ड 3, *सामाजिक क्षेत्र,* http://planningcommission.nic.in.

डेविड कोडी और अन्य (सं.), द *इकोनॉमिक ऑफ़ पब्लिक हेल्थकेअर रिफ़ॉर्म इन एडवांस्ड ऐंड इमर्जिंग इकोनॉमीज,* अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष, 2012, पृ. 23–24, http://books.google.co.in; 1 निर्मल एम. नागराज, 'इण्डिया रैंक्स 171 आउट ऑफ़ 175 इन पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग, सेज़ डब्ल्यूएचओ स्टडी', 11 अगस्त, 2009, http://timesofindia.indiatimes.com.

देविंदर शर्मा (2017), 'हाउ वर्ल्ड बैंक्स इकॉनॉमिक चक्रव्यूह इज़ ट्रैपिंग इण्डियन फार्मर्स', 30 सितम्बर , 2017, https://www.ecologise.in.

दीपशिखा सिकरवर और विनय पाण्डेय (2018), 'मोदीकेयर : हेल्थकेयर स्कीम कुड कॉस्ट एक्सचेकर रुपीज 10,000 करोड़ अ ईयर', फ़रवरी 3, 2018, https://economictimes.indiatimes.com.

नियो लिबरल फ़ासिस्ट अटैक ऑन एजुकेशन, लोकायत प्रकाशन.

नीरज जैन (2017), 'बजट 2017–18: इज़ इट इनडीड अ प्रो फार्मर बजट?', *जनता वीकली,* फ़रवरी 12, 2017, http://janataweekly.org. *स्पेक्टर ऑफ़ फ़ासिज़्म,* लोकायत प्रकाशन.

नीरज जैन (2017), 'फ़ॉर अ युनिवर्सिलाइज़्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम', *जनता,* 27 अगस्त, 2017, http://janataweekly.org.

पी. साईनाथ (2017), 'द स्लॉटर ऑफ़ सुसाइड डेटा, अगस्त 5, 2015, http://psainath.org; लोला नय्यर (2017), 'डेमो ऐंड अदर डीमन्स इन द बान', जून 26, 2017, https://www.outlookindia.com.

'प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण : एट ए ग्लांस', ग्रामीण विकास मंत्रालय, http://ruraldiksha.nic.in.

'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना– सौभाग्य', https://www.india.gov.in; 14 मार्च, 2018 को देखा गया; कुमार सम्भव श्रीवास्तव, 'बजट 2018 टॉक्स बिग ऑन रूरल इकॉनोमी ऐंड एग्रीकल्चर, बट व्हेयर इज़ द मनी?', फ़रवरी 2, 2018, https://scroll.in.

प्राइवेट इंस्योरर्स रीप ए विंडफॉल फ्रॉम क्रॉप कवर स्कीम, जुलाई 20, 2017, http://www.thehindubusinessline.com; 'यूनियन बजट : 2018–19 : इश्यूज़ ऑफ़ मार्जिनेलाइज़्ड सेक्शंस', दिल्ली सोलिडैरिटी ग्रुप, https://www.scribd.com.

प्राची साल्वे और स्वागता यादवार, व्हाई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हैज फेल्ड इण्डियाज़ पुअर',19 अक्तूबर, 2017, http://smartinvestor.business-standard.com.

'फार्मर्स सुसाइड अप बाइ 40 पीस ड्यू टू ड्राउट इन 2015; महाराष्ट्र वर्स्ट हिट', अगस्त 19, 2016, http://www.indiatvnews.com.

'फेयरी टेल्स अबाउट फोरेन इंवेस्टमेंट', *आस्पेक्ट्स ऑफ़ इण्डियाज़ इकॉनोमी,* मई 2017. http://www.rupe-india.org.

'फ़ोर्ब्स वर्ल्ड्स बिल्यनेयर लिस्ट : इण्डिया बिल्यनेअर्स काउंट सोअर्स टू 121'; 'बट यूएस ऐंड चाइना हैव वे मोर', 7 मार्च, 2018, http://financialexpress.com; इण्डियाज़ बिल्यनेअर लिस्ट राइजेज़ टू ऑल टाइम हाई ऑफ़ 56 : फ़ोर्ब्स', 4 मार्च, 2014, http://www.vccircle.com.

'बजट 2018 : अरुण जेटली हिट्स रिफ्रेश ऑन टू ईयर ऑल्ड 'नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम', फ़रवरी 1, 2018, http://indianexpress.com; पार्लियामेंट पैनल रेड-फ़्लैग्स गवर्मेंट्स एम्बीशस हेल्थकेअर स्कीम', मार्च 13, 2018, https://economictimes.indiatimes.com.

'मोदीज पैट उज्जवला स्कीम वॉबल्स एज़ मैनी बेनफिशयरीज़ ड्रॉप आफ़्टर देयर फ़र्स्ट एलपीजी सिलेंडर', 11 जून, 2017, https://scroll.in.

रंजीत भट्टाचार्य और आदर्श गंगवार (2017), 'व्हाई इण्डिया नीड्स टू काउंट इट्स ब्रोकन टॉयलेट्स?', जुलाई 19, 2017, http://www.indiaspend.com; मधुर कार्णिक (2016), 'इण्डिया हैज सुपरपॉवर एम्बिशंस, बट इट्स स्कूल्स डोंट हैव पॉवर, कम्प्यूटर्स ऑर लाइब्रेरीज', अगस्त 10, 2016, https://qz.com.

'रिचेस्ट 1% कॉर्नर्ड् 73% ऑफ़ वेल्थ जेनेरेटेड इन इण्डिया इन 2017 : ऑक्सफ़ैम सर्वे', 22 जनवरी, 2018, https://thewire.in.

रेमा नागराजन, 'बजट हेल्थ स्पेंड नोट ऑन कोर्स टू मीट 2025 टारगेट', 3 फ़रवरी, 2018, http://timesofindia.india times.com.

'लैस दैन 30% ऑफ़ निर्भया फण्ड युटिलाइज़्ड : आरटीआइ रिप्लाई', 11 फ़रवरी, 2018, http://www.business-standard.com.

'वन इन टू इण्डियन स्टूडेंट्स कांट रीड बुक्स मेंट फ़ॉर थ्री क्लासेज बिलो : असर', जनवरी 19, 2017, http://www.livemint.com.

संजीब मुखर्जी (2014), 'आउट-ले शॉज़ स्टेटस मे गो स्लो ऑन फ़ूड सिक्योरिटी प्लान', 12 जुलाई, 2014, http://www.business-standard.com; 'राइट टू फ़ूड कैंपेन ऑन बजट 14', 12 जुलाई, 2014, http://www.indiaresists.com.

सौरिंद्रा मोहन घोष और इमराना क़दीर, 'यूनियन बजट 2018 : पुअर डायग्नॉसिस, रॉंग मेडिसिन', 3 फ़रवरी, 2018, http://indianexpress.com.